बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल,पंत भवन, पटना–800001

रिक्ति प्रकाशन की सूचना

सहायक/उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक/लेखा सह रोकड़पाल/चालक के रिक्त पदों पर समकक्ष कोटि के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए "Walk-in-Interview" के आयोजन की सूचना :–

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	आरक्षण कोटि	आवश्यक अर्हता/अनुभव	उम्र सीमा	परिलब्धियाँ	Walk-in-Interview की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक	03	अनारक्षित–02 अ0पि0व0–01	बि0स0से0 संवर्ग के उसी पंक्ति से सेवानिवृत	न्यूनतम 60 वर्ष कार्यरत रहने की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।	सरकारी प्रावधानानुसार	31.10.2017 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे तक
2	उच्च वर्गीय लिपिक	02	अनारक्षित–01 अ0पि0व0–01	राज्य/केन्द्र सरकार में उच्च वर्गीय लिपिक अथवा समकक्ष कोटि से सेवानिवृत			31.10.2017 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे तक
3	निम्न वर्गीय लिपिक	02	अनारक्षित–01 अ0पि0व0–01	राज्य/केन्द्र सरकार में निम्न वर्गीय लिपिक अथवा समकक्ष कोटि से सेवानिवृत			31.10.2017 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.30 बजे तक
4	लेखा–सह–रोकड़पाल	01	अ0पि0व0–01	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत			01.11.2017 11.30 बजे पूर्वाह्न
5	चालक	02	अनारक्षित–01 पि0व0–01	सरकारी चालक के पद से सेवानिवृत एवं अद्यतन नवीकृत वैध ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त			02.11.2017 11.30 बजे पूर्वाह्न

सामान्य शर्तें :–

1. प्राधिकरण द्वारा गठित अधिकृत चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा एवं समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार संविदा नियोजन हेतु पैनल तैयार करने की कार्रवाई की जायेगी।
2. चयन समिति द्वारा तैयार पैनल चयन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा उक्त पैनल से लघुकालीन संविदा पर नियुक्ति की जाएगी।
3. उपरोक्त पदों पर नियोजित संविदा कर्मी पर सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 के अतिरिक्त समय–समय पर निर्गत अन्य संदर्भित आदेश/अनुदेश लागू होंगे।
4. नियोजित कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाये की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

5. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन एवं महँगाई भत्ते के योगफल में से पेंशन की राशि एवं उस पर प्राप्त महँगाई भत्तें के योगफल को घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे न ही सरकारी सवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. यह नियोजन पूर्णरूपेण औपबंधिक होगा एवं संविदा अवधि समाप्त से पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त किया जा सकेगा।
8. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति के फलस्वरूप पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी के पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रतियाँ वाँछनीय होंगी।
10. सेवानिवृत कर्मी के द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र नियोजन योगदान के साथ देना होगा।
11. इच्छुक सेवानिवृत कर्मी इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे कि सेवाकाल में उन्हें कभी निलंबित नही किया गया है अथवा सेवाकाल में किसी आरोप/विभागीय कार्यवाही में उनके विरुद्व कोई दंड अधिरोपित नहीं हुआ है अथवा उनके विरुद्व कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नही है।
12. आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की पैरवी की स्थिति में नियुक्ति पर विचार नही किया जायेगा और पात्रता अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
13. अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में टंकित/कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र (मूल रुप) एवं अपने PPO/ अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा।
14. अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पदों पर आवेदन के इच्छुक हैं, उन्हें अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।
15. आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक अभिलेख मूलरूप में उपलब्ध कराना होगा।
16. Walk-in-Interview में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का अपूर्ण/अस्पष्ट आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
17. आवेदन की पात्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को होगी।
18. क्रम सं0 1 से 4 तक के पदों के लिए कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त/ विपत्र/कोषागार कार्य/लेखा कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।
19. लेखा–सह–रोकड़पाल के लिये Tally Accounting System पर कार्य करने का अनुभव वांछित है।
20. चयनित अभ्यर्थी के साथ विहित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
21. प्राधिकरण को उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने अथवा नियमानुसार अन्य अपेक्षित संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
22. उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित विस्तृत सूचना एवं विहित आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

(साँवर भारती)
सचिव

Bi/pp/bsdma

'0.8

संविदा आधारित सचिवालय सहायक/उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक/लेखा–सह–रोकड़पाल/चालक के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अद्यतन स्व- अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

1	आवेदित पद का नाम	
2	आवेदक का नाम (मोबाईल नं0 सहित)	
2	अभ्यर्थी के पिता/पति का नामः–	
3	जन्म तिथिः– (जन्म से संबंधित प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।)	
4	पत्राचार का पताः–	
5	स्थायी पताः–	
6	शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	
7	आरक्षण कोटिः (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूलवासी को हीं अनुमान्य होगा।)	
8	विभाग/कार्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत हुए है :–	
9	सेवा में नियुक्ति तिथिः–	
10	सेवानिवृत्ति की तिथिः– (PPO संलग्न करें)	
11	सेवानिवृति के समय पदनाम	
12	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव एवं उसकी अवधि :–	
13	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छिपायी गयी है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गयी है। यदि भविष्य में किसी स्तर से दी गयी जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती ।

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः–.....................................

स्थानः–.....................................

Bi/pp/bsdma